लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 2.6.18

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 108

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 28.05.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 28.05.2018 को आयोजित का वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2.6.18

पृष्ठा0क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 109
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 28.5.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेस का कार्यवाही विवरणः—

दिनांक 28.5.2018 को 4.00 बजे मंत्रालय, वल्लभ भवन स्थित कक्ष क्रमांक 66 में वीडियों कान्फ्रेसिंग का आयोजन आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ में आयोजित की गई।

कॉन्फ्रेसिंग में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गये :—

1. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा जानकारी दी गई कि प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप वितरण कार्यक्रम नवीन संशोधित तिथि 09.6.2018 को संपन्न होगा। इसके अंतर्गत लेपटॉप वितरण के सभी जिलों को जो रूपरेखा बताई गई थी। उसी के अनुरूप समस्त तैयारियॅा 31.5.2018 तक पूर्ण कर लें। छात्रों को ठहराने की व्यवस्था तथा बीच में रूकने की व्यवस्था ठीक से करने के निर्देश दिये गये। जिला शिक्षा अधिकारी, धार द्वारा बताया गया कि उनका लेपटॉप वितरण का वर्ष 2016 का पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में संयुक्त संचालक (विद्या) द्वारा बताया गया कि पूरे प्रदेश के 70 लाख रूपये देना बकाया है । यह राशि शीघ्र जारी की जावेगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे उनके जिले में बकाया राशि के संबंध में अ0शा0 पत्र के द्वारा सूचित कर देवें। लेपटॉप की राशि हेतु पात्र विद्यार्थियों के खाता सत्यापन शेष 169 प्रकरण लंबित है जिन्हें दिनांक 31.5.2018 तक पूर्ण किया जावें।

डी.पी.सी. अशोक नगर द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग में अनदेखा पूर्ण व्यवहार करने के कारण आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इनकी सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस लिये जाने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में समीक्षा के दौरान अनेक जिलों में कार्य संतोषजनक नहीं होना पाया गया। भिण्ड जिले में 13 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण होना पाया गया। अतः लंबित जिलों को निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य समयावधि में पूर्ण किया जावें।

आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा सायकिल वितरण के लंबित प्रकरण अत्याधिक संख्या में होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इन प्रकरणों को निराकृत करने हेतु दिनांक 31.5.2019 का समय दिया गया।

आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ज्ञानपुंज योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जो संचालनालय,लोकशिक्षण,मध्यप्रदेश,भोपाल/संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में आसंजित हैं उनको ज्ञानपुंज दल में शिक्षण कार्य के लिये ड्यूटी लगाई जावें।

2. संचालक, लोक शिक्षण द्वारा बताया गया कि विधानसभा का सत्र् 25 जून से 29 जून तक संपंन्न होगा। अतः अधिक संख्या में लंबित विधानसभा प्रश्न, लंबित आश्वासन, लंबित याचिकायें, ध्यानाकर्षण का निराकरण कर 02 जून, 18 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को भेजे जावें।

संचालक, लोक शिक्षण द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 300 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिये गये। एल—4 पर सबसे अधिक प्रकरण वाले जिले मे रीवा—439, टीकमगढ, मुरैना सतना, दमोह, भोपाल, इंदौर, पन्ना,

शिवपुरी, सागर, सिंगरोली में सबसे अधिक शिकायतें लंबित है। छात्रवृत्ति सबंधित सी.एम. हेल्पलाइन के L–4 स्तर पर अधिक संख्या में प्रकरण लंबित है।

व्याख्याता संवर्ग की पदोन्नति कोटे की जानकारी चाही गई थी। ग्वालियर, देवास रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार, झाबुआ, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, राजगढ, रायसेन, होशंगाबाद, सागर, नरसिंहपुर, मण्डला, सतना, सीधी, अनूपपुर और आगर मालवा जिले की जानकारी लंबित है। निर्देशित किया गया कि वे उक्त जानकारी अविलंब संचालनालय को उपलब्ध करावेंगे।

28 मई, 2018 को परिवेदना शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ है। अतः कुछ जिलों में पोर्टल पर जानकारी फीड नहीं की गई है। अतः निर्देश दिये गये कि तत्काल ही अगला सत्र् शुरू होने से पहले अपने विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्या का निराकरण हो सके। अतः जो आवेदन पत्र आपको प्राप्त हुए है उनका निराकरण समय सीमा में किया जाना है।

हाईस्कूल/हा0से0 के अध्यापकों के संविलियन के संबंध में पदांकन आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये थे। पदांकन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अनेक अध्यापक परेशान हो रहे हैं। ऐसे सभी प्रकरणों की सूची अनुशंसा सहित दिनांक 5.6.2018 तक भेजी जावें। साथ ही संभागीय संयुक्त संचालकगण मानीटरिंग कर प्रकरण अनुशंसा सहित संचालनालय को उपलब्ध करायेंगे। इन प्रकरणों को एम. शिक्षा मित्र पोर्टल पर दर्ज कराये जायें जिसे 14–15 जून तक कार्य पूर्ण कर लिया जायें। अतः ऐसे सभी प्रकरणों को 5.6.2018 तक संचालनालय को भेजेगें।

प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों का ऑनलाईन सत्यापन में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो त्रुटि हुई हो उनको अनलॉक करने हेतु भेज दें, ताकि एन.आई.सी. को भेजे जायें। अतः 26.5.2018 तक भेजने के निर्देश दिये जायें।

संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अवमानना प्रकरण क्र0 1676/2016 श्री रामसिया शर्मा विरूद्व मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एफ.आर. 22 (डी) एवं एफ.आर 22(ए) के गणना पत्रक दिनांक 30.5.2018 तक संचालनालय के स्थापना–3 कक्ष में प्रस्तुत करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, भिण्ड को निर्देशित किया गया।

3. समेकित छात्रवृत्ति योजनाः–

- समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मिशन वन–क्लिक में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के कारण असफल भुगतान वाले प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के संशोधन व सत्यापन किए जाने की जिलेवार समीक्षा करते हुए आयुक्त महोदया ने अवगत कराया कि अद्यतन केवल 1.68 लाख (22प्रतिशत) विद्यार्थियों के खाते अपडेट किए गए है। देवास, शिवपुरी, सिंगरौली, इंदौर, भिण्ड, अशोकनगर, शाजापुर, मण्डला, दमोह, ग्वालियर, में अत्यंत कम प्रगति पर अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए 31 मई 2018 तक शतप्रतिशत बैंक खाते संशोधन एवं सत्यापित किए जाने हेतु निर्देशित किया।

- वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति स्वीकृति, वितरण एवं लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी दिनांक 08.05.18 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि हेतु निर्देशित किया गया था केवल दतिया, अलीराजपुर, खण्डवा से प्राप्त हुई एवं दमोह,गुना, सागर, विदिशा, की जानकारी त्रुटिपूर्ण है। समस्त जिले परीक्षण कर सही विवरण 31 मई 2018 तक प्रविष्ट करें।

● डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किए जाने हेतु लिंक दिनांक 20.04.18 को प्रेषित की जाकर तत्काल जानकारी प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभी भी जिलाः–आगरमालवा, अनूपपुर,अशोनगर, भिण्ड,बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मूरैना, रायसेन, सतना, सिहोर, शाजापुर, एवं सिंगरौली द्वारा प्रविष्टी नही की गई है एवं देवास, गुना, रतलाम, द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रविष्ट की गई है। जानकारी 31 मई 2018 तक प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

● कक्षा 12वी सत्र 2017–18 का परीक्षा परीणाम घोषित हो चुका है। अतः वर्ष 2018–19 हेतु डॉ.ए.पी.जे अब्दूल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति जिला स्तर पर तत्काल जारी किया जाना सुनिश्चित करें एवं संचालनालय से निर्देश प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए।

● पूर्व वर्षों में मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन नही होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित होने की शिकायत निरंतर सी.एम.हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रही है। इनके एक्जाई निराकरण हेतु मेपिंग/प्रोफाइल से वंचित विद्यार्थियों की (वर्ष 2013–17 से 2016–17) तक की जानकारी प्रपत्र–1 में गूगल ड्राइव पर अंकित करने एवं छात्रवृत्ति पात्रता विषयक जानकारी प्रपत्र.–2 में संचालनालय को दिनांक 17.05.18 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु केवल जिला बैतूल, डिंडोरी, ग्वालियर, खरगौन, रतलाम, सागर, सिहोर, एवं सिवनी द्वारा प्रपत्र–1 की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट की गई है। प्रपत्र–2 की जानकारी समस्त जिलों से अप्राप्त है। समस्त जिलों को प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 की जानकारी दिनांक 02.06.18 तक अनिवार्यतः प्रविष्ट/प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया।

शारीरिक शिक्षाः–

● राज्य स्तरीय शालाए के कैलेण्डर 2018–19 दिनांक 08.05.18 को जारी कर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रेषित किया गया था एवं 31 मई 2018 तक संभाग एवं जिला स्तरीय खेल कैलेण्डर जारी किए जाने की अपेक्षा की गई है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय कैलेण्डर एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तरीय खेल कैलेण्डर 31 मई 2018 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।

● योग ओलाम्पियाड हेतु चयनित राज्य दल को दिनांक 18–20 जून 2018 को दिल्ली में सहभागिता करना है। दल सदस्यों एवं कोच, मेनेजर की जानकारी संचालनालय के पत्र दिनांक 08.05.18 द्वारा जिलों/संभागों को प्रेषित की गई है एवं प्रत्येक खिलाडी को सूचना पत्र तामिली हेतु ई–मेल से प्रेषित किया गया है। संबंधित छात्र को तामील कराकर सहमति/असहमति दिनांक 31.05.18 तक संचालनालय को प्रेषित करें।

खेल एवं यूवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.18 है। पदक प्राप्त खिलाडियों के पात्रतानुसार प्रमाण पत्र वितरित करें। कोई भी पात्र छात्र प्रमाण पत्र से वंचित न रहे सुनिश्चित करें।

4. अपर संचालक (अनुदान) द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुदान राशि के बंटन की जानकारी दी गई तथा पॉच जिलों यथा–

श्योपुर, झाबुआ, बडवानी, सीहोर, उमरिया से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अतः अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इसके अलावा 08 जिलों के द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं कार्यरत अमले की जानकारी नहीं भेजने के कारण उन्हें शीघ्र भेजने हेतु अप्रसन्नता के साथ निर्देश दिये गये।

5. संयुक्त संचालक(विद्या) द्वारा अवगत कराया गया कि कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की काउसंलिंग प्रथम चरण में दिनांक 21 से 31 मई 18 तक की जायेगी। द्वितीय चरण में दिनांक 4 जून से 14 जून,18 तक 12वीं पास विद्यार्थियों की काउसंलिग की जानी है। यह विकासखण्ड के दो स्कूल एक उत्कृष्ट विद्यालय में तथा एक स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन किया जावेगा। विकासखण्ड स्तर पर इस काउसलिंग हेतु रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट एवं एक अन्य चयनित इस प्रकार 2 स्कूलों से कम से कम 3–3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा 04.6.2018 से 14.6.2018 तक अपने–अपने स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग करेंगे। उक्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये।

मान्यता के प्रकरण इंदौर, जबलपुर संभाग के निर्धारित समय सीमा में नहीं हो पाये थे। इन प्रकरणों के लिये एम.पी. ऑन लाईन द्वारा कार्यवाही की गई। साथ ही 21 जून, 2018 को विश्व योग दिवस है। इस संबंध में संचालनालय से आदेश जारी हो चुके है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत आदेश जारी किये गये है। इस वर्ष जो भी किताबे प्राप्त की जावेगी वह गिनकर ली जावेगी। 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले जिलों की समीक्षा की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि शिक्षकों के न रहने से 09 लोगों का एक दल बना लिया जायें। ज्ञानपुंज दल को यात्रा भी करना पडती है। अतः प्रतिदिन 200 रूपये दिये जाने हेतु बंटन की व्यवस्था भी की जावेगी। अतः निर्देश दिये गये कि जिला स्तर पर ज्ञानपुंज दल में ''अच्छा'' परफार्मेस वाले व्यक्तियों को लिया जावें साथ ही इस दल को आवश्यक सुविधायें दी जायें।

अंत में आयुक्त, लोकशिक्षण द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों को यह हिदायत दी गई कि वीडियों कान्फ्रेसिंग में विभागीय निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन कर ही जबाव दिया जायें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

7/6/18
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश